


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा(म0प्र0)
//विधि - आदेश//

क्रमांक 42 / दो-1-1/2009,

छिंदवाड़ा, दिनांक 02-02-2024

मैं जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार स्तंभ-3 में अंकित प्रकरण को, स्तंभ-2 में अंकित न्यायालय से आहरित कर, स्तंभ-4 में अंकित न्यायालय को, विधिवत निराकरण हेतु न्यायिक अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अंतरित करता हूँ :-


क	प्रकरण अंतरितकर्ता न्यायालय का नाम	प्रकरण का क्रमांक एवं पक्षकार का नाम	प्रकरण प्राप्तकर्ता न्यायालय का नाम
1.	2.	3.	4.
1	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	समस्त आपराधिक एवं समस्त व्यवहार वाद प्रकरण	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड परासिया
2	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, छिंदवाड़ा	समस्त आपराधिक एवं समस्त व्यवहार वाद प्रकरण	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

पृ0क्र0 313/दो-1-1/2009
प्रतिलिपि :-

छिंदवाड़ा, दिनांक 02-02-2024

1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड परासिया
2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड परासिया की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया
3. निष्पादन लिपिक/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
4. निष्पादन लिपिक/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, छिंदवाड़ा
5. प्रभारी अधिकारी कंप्यूटर अनुभाग, छिंदवाड़ा
6. प्रस्तुतकार/श्रीमान प्रधान जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
7. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा